पाकुड़ समाहरणालय

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1088 / रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।

–सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

राँची।

पाकुड़, दिनांक :– 01 / 07 / 2020.

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जन वितरण प्रणाली से संबंधित ऑनलाईन प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भवदीय कार्यालय से प्राप्त इस जिला के हिरणपुर प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत–बाबुपुर, ग्राम–बीझांमारा के लीली बाहा स्वयं सहायता समूह एस. एच. जी., जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जॉच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर से कराई गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर द्वारा जाँच के पश्चात् शिकायत सही पाया गया। जिसके आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1945 / जि0आ0, दिनांक–26.06.2020 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1705 / जि0आ0, दिनांक 23.05.2020 द्वारा लीली बाहा स्वयं सहायता समूह एस. एच. जी., जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

विश्वासभाजन

01.07.2020

अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।

–सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,

अनुलग्नक :–यथोक्त।

पाकुड़ समाहरणालय
(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक—**1945** / जि0आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता
—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पाकुड़।

पाकुड़, दिनांक—**26.06.2020**

विषय :— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् जन वितरण प्रणाली विक्रेता, लीली बाहा एस.एच.जी. से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में।**

प्रसंग :— **भवदीय ज्ञापांक—722 / रा0, दिनांक—11.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर ने अपने पत्रांक—63, दिनांक—10.05.2020 द्वारा लीली बाहा एस. एच.जी., जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत—बाबुपुर, अनुज्ञप्ति सं0—01 / 2012, प्रखण्ड—हिरणपुर ने कार्डधारियों के बीच चावल वितरण नहीं करने के आरोप में रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आधार पर कार्यालय आदेश ज्ञापांक—1705 / जि0आ0, दिनांक—23.05.2020 (पत्र की प्रति संलग्न) द्वारा लीली बाहा एस.एच.जी., जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत—बाबुपुर, प्रखण्ड—हिरणपुर की निर्गत अनुज्ञप्ति सं0—01 / 2012 को रद्द कर दी गयी है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— **यथोक्त।**

26/6/2020

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

Dist_supply1052

पाकुड़ समाहरणालय

(जिला आपूर्ति शाखा)

—: आदेश :—

लीली बाहा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम—बीझामारा, पंचायत—बाबुपुर, प्रखण्ड—हिरणपुर (अनुज्ञप्ति सं0—01/2012) के संबंध में निम्न तथ्य द्रष्टव्य है :—

(01) इस कार्यालय के ज्ञापांक—2165/जि0आ0, दिनांक—26.10.2019 के द्वारा संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता से माह—सितम्बर, 2019 में उपावंटित किरासन तेल का उठाव नहीं करने के कारण तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा न तो उक्त माह के किरासन तेल का उठाव कर लाभुकों के बीच वितरित किया गया और न ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया, जो उनकी स्वेच्छाचारिता/मनमानी और अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का स्पष्ट प्रमाण है।

(02) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर ने अपने पत्रांक—63, दिनांक—10.05.2020 द्वारा कतिपय लाभुकों को माह—मई, 2020 का चावल नहीं देने, अप्रैल, 2020 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल समय पर वितरित नहीं करने, सचिव द्वारा मोबाईल बंद कर किसी से सम्पर्क नहीं करने, दुकान पर वितरण पंजी/अपवाद पंजी/भंडार पंजी इत्यादि का संधारण नहीं करने, अप्रैल एवं मई, 2020 का खाद्यान्न एक साथ वितरण करने के आदेश के बावजूद भी उक्त आदेश का अनुपालन न कर उनके द्वारा अलग—अलग वितरण करने, 17% लाभुकों को ससमय खाद्यान्न नहीं देने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरित चावल की ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं करने एवं कतिपय अन्य आरोपों के कारण उनके विरुद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

(03) उपरोक्त क्रमांक—02 पर अंकित अनुशंसा के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञापांक—1600/जि0आ0, दिनांक—11.05.2020 द्वारा उक्त विक्रेता की दुकान निलंबित करते हुए अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया है, जो अबतक अप्राप्त है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा बार—बार आदेश की अवहेलना की गयी है।

(04) अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ के ज्ञापांक—722/रा0, दिनांक—11.05.2020 की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है, जिसमें उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के संबंध में राज्य खाद्य आयोग, राँची को प्राप्त शिकायत के क्रम में जाँच हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर को निदेशित किया गया।

(05) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर का पत्रांक—356/वि0, दिनांक—14.05.2020 जो अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को समर्पित है, में उक्त विक्रेता द्वारा अनियमितता बरतने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

(06) अपर समाहर्त्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ का पत्रांक—750/रा0, दिनांक—15.05.2020 जो अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है, में उपरोक्त क्रमांक—05 पर अंकित अनुशंसा का उल्लेख करते हुए उक्त विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गयी खाद्यान्न की वास्तविक अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग भी की गयी है।

(07) इस कार्यालय के ज्ञापांक—1638/जि0आ0, दिनांक—15.05.2020 द्वारा उपरोक्त क्रमांक—06 पर उल्लिखित आदेश के अनुपालन हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को निदेश दिया गया है।

(08) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर ने अपने पत्रांक—69, दिनांक—16.05.2020 द्वारा उपरोक्त क्रमांक—07 पर उल्लिखित पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें राज्य खाद्य आयोग में 15 शिकातयकर्त्ताओं में से मात्र 07 शिकायतकर्त्ता को दिनांक—12.05.2020 को मई, 2020 का चावन उपलब्ध कराने का उल्लेख अंकित है, जबकि शेष 08 शिकातयकर्त्ता को प्रतिवेदित तिथि तक संबंधित विक्रेता द्वारा चावल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर एवं अंचल निरीक्षक, हिरणपुर का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर को समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की गयी है।

(09) उपरोक्त क्रमांक—08 पर उल्लिखित अंचल निरीक्षक, हिरणपुर एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आवंटन एवं वितरण के अनुसार 37.95 क्विं0 अवशेष खाद्यान्न दिखाया गया है, जबकि दिनांक—12.05.2020 के 03.00 बजे अपराहन् में भंडार के भौतिक जाँच में भंडारण शून्य पाया गया। स्पष्ट है कि उनके द्वारा 37.95 क्विं0 खाद्यान्न लाभुकों के बीच वितरित न कर गबन किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में लीली बाहा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–बीझामारा, पंचायत–बाबुपुर, प्रखण्ड–हिरणपुर (अनुज्ञप्ति सं0–01/2012), जिला–पाकुड़ की अनुज्ञप्ति को पत्र निर्गत की तिथि से रद्द करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

(क) संबंधित लीली बाहा स्वयं सहायता समूह के दुकान संचालक को निदेश दिया जाता है कि वे अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जो भी अवशेष खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री (दुकान संचालन संबंधी अभिलेख/पंजी/मशीन इत्यादि सहित) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। ससमय अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सरकारी सामग्री के गबन एवं उसकी वसूली संबंधी सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

(ख) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपरोक्त अंकित सभी सामग्री (खाद्यान्न सहित) प्राप्त कर नियमानुसार उसका निस्तारण सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी ससमय उपलब्ध करायेंगे।

(ग) संबंधित विक्रेता द्वारा ससमय अनुपालन नहीं होने की स्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अबतक प्राप्त सामग्री एवं खाद्यान्न आदि का वितरण संबंधी आकलन अपने स्तर से (ऑन लाईन प्रविष्टि सहित) करते हुए उसकी वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

ज्ञापांक **1705**/जि0आ0, पाकुड़, दिनांक–**23.05.2020**

प्रतिलिपि :– लीली बाहा स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–बीझामारा, पंचायत–बाबुपुर, प्रखण्ड–हिरणपुर (अनुज्ञप्ति सं0–01/2012) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला आपूर्ति कार्यालय, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि रद्द अनुज्ञप्ति सं0–01/2012 को PDS/Aahar Portal से विलोपित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सहायक गोदाम प्रबंधक, हिरणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– किरासन तेल थोक विक्रेता, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को इस पत्र का तामिला अधिकतम तीन दिनों के अन्दर कराते हुए तत्संबंधी तामिला प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर/अंचल अधिकारी, हिरणपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम लि0, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पाकुड़ को भवदीय ज्ञापांक 722/रा0, दिनांक–11.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पाकुड़ को सादर सूचनार्थ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पाकुड़।

Aadesh(DSO)212